पत्रांक–04 / SJSRY–09/2014 - 1498 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

संयुक्त सचिव–सह–उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार।
सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद / नगर पंचायत।

पटना, दिनांक–14/06/18

विषयः– **DAY-NULM योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर निकायों में DAY-NULM योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। कई बार अनुरोध करने के बावजूद व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो काफी खेदजनक है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार एवं महालेखाकर, बिहार को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के बाद ही भारत सरकार से योजना के अधीन आगामी किस्त की राशि आवंटित की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि DAY-NULM योजना के क्रियान्वयन हेतु विमुक्त की गयी राशि के विरूद्ध व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 10 दिनों के अंदर फॉर्म–42A में विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा सके।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

13/6/18

संयुक्त सचिव–सह–उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04 / SJSRY–09/2014 - 1498 दिनांक– 14/06/18

प्रतिलिपिः–प्रभारी, MIS Cell, इन्दिरा भवन, पटना / टीम लीडर, DAY-NULM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि नगर निकायों में प्रतिदिन संपर्क स्थापित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13/6/18

संयुक्त सचिव–सह–उप निदेशक ।